मात्स्यिकी के क्षेत्रों में महिलाओं केलिए उपलब्ध रोज़गार साध्यताएं

शीला इम्मानुअल और एस. सत्या राव

केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान का विशाखपट्टणम क्षेत्रीय केंद्र, पांडुरंगपुरम, विशाखपट्टणम, आंध्रप्रदेश

भारत गाँवों का देश है और यहाँ के 70% लोग गाँवों में रहनेवाले है जो अपनी आजीविका के लिए कृषि और इससे जुडे अन्य क्रियाकलापों पर आश्रित रहते है। अकेले पड गए गाँवों और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले इन लोगों आय का प्रमुख स्रोत है भूमि और समुद्र। बढ़ती जानेवाली जनसंख्या केलिए भोजन उपलब्ध कराने में अनुसंधान और तकनीकी प्रक्रियाओं में इन लोगों का सहयोग सराहनीय है। भारत की जनसंख्या में प्राय: आधा भाग महिलाएं हैं। ये कृषि, पशुपालन और मात्स्यिकी के क्षेत्र में मुख्य भूमिका की निभाती है। तटीय क्षेत्रों में रहनेवाली महिलाएं मछली के बिक्री, संसाधन और संग्रहणोत्तर कार्य में लगी रहती है और इनके द्वारा आर्थिक आय परिवार की सहारा बन जाती है। घर में आहार बनाने, इसे बाँटने से लेकर घर के प्रबंधन सहित सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर निहित रहती हैं. इनके अतिरिक्त परिवार की वित्तीय स्थिति को सुधारने के साथ साथ आनेवाली पीढियों केलिए भी प्राकृतिक संपदाएं बचाये रखने केलिए ये प्रयत्न करते हैं।

रीतिविधान

यह अध्ययन विशाखपट्टणम के मात्स्यिकी पोताश्रय में चलाया गया था। मात्स्यिकी संबंधित विभिन्न क्रियाकलापों में लगी मछुवा महिलाओं जैसे मछली विपणन में लगी (250), घरों में मछली बेचेनेवाली (10) नीलाम में लगी (15), बर्फ बेचनेवाली (10) और प्रक्रमण में लगी (50) मछुआ महिलाओं से संबंधित आँकडों का संग्रहण करके प्रतिशत विश्लेषण किया गया।

निष्कर्ष और चर्चा

आंध्रप्रदेश की मछुआ महिलाओं की स्थिति

आंध्रप्रदेश में लगभग 1,29,000 मछुआ परिवार हैं जिनमें अधिकांश, यानी लगभग 31,400 परिवार विशाखपट्टणम में है। मछली विपणन में लगे हुए मछुआरों में 79% और संसाधन प्रक्रियाओं में लगे हुए मछुआरों में 87% महिलाएं हैं। कुल 27,160 और 2500 मछुआ महिलाएं क्रमश: विपणन एवं छिल्का उतारने के काम में लगी हुई है। इन में क्रमश: 34.2% और 17.84% विशाखपट्टएाम जिला से है।

मछली विपणन में महिलाएं

मछली विपणन तट पर आधारित होने के कारण अधिकतर महिलाएं इस में लगी हुई है। विशाखपट्टणम में मछली विपणन करने वाली मछुआ महिलाओं में 57% मत्स्यन मुख्य पेशा के रूप में

अपनाई के 35 से 45 वर्षों की आय (मध्य वयस्क) की थी. इनमें पचपन प्रतिशत निरक्षर थी. ताज़ा मछली विपणन करने वाली मछुआ महिलाओं में दैनिक आय 150-500/-रु के बीच (अवतरण के आधार पर) था जब कि सुखायी गयी मछली के विपणन में लगी मछुआ महिलाओं का दैनिक आय 100 -350/- रु के बीच देखा गया। इनमें सत्तर प्रतिशत 20 से 30 वर्षों के बीच की आयु में मछली विपणन के कार्य में प्रवेश किए गए थे। 72% महिलाओं को अपना घर था और 28% किराए के घरों में रहती थी। 38% केक्रीट घर थे। 57% औसत 4 सदस्यों के साथ छोटे परिवार थे। सभी घरों में बिजली की सुविधा थी। 65% परिवार पीने के पानी केलिए पब्लिक टाप का आश्रित लेते है और आहार पकाने केलिए लकडी के उपयोग करते हैं। 49% घरों में दूरदर्शन उपलब्ध है। केवल 34% में मछुआ महिलाओं को उधार की बाध्यता थी। उनकी कठिनाइयों की जाँच करने पर अस्सी प्रतिशत महिलाओं ने मछली खरीदने केलिए *पैसे की कमी* और सभी कार्यक्षेत्र में *मध्यवर्तियों का घुसपैठ* पर शिकायत की थी। 77.5% महिलाओं केलिए *अपर्याप्त आय* की समस्या थी। मछली बेचने पर प्राप्त सीमित लाभ से कुछ अंश मछली खरीदने केलिए निकलना पडता है। पंजीकरण शुल्क का भुगतान, (75%), वाणिज्यिक प्रमुख मछलियाँ नहीं मिलना (75%), और अपर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं (70%) पर रिपोर्ट की गयी थी। अधिकतर वाणिज्यिकय प्रमुख मछलियों निर्यात किए जाने के कारण ऐसी मछलियाँ उनको मिलना मुशकिल है। इस प्रकार धूप और बारिश में पनाह और विपणन स्थान को साफ किए मलिन जल निकास करने का निकास - नल भी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा 65% ने काफी समय तक बैठकर मछली विपणन करने पर घुटनों पीठ और संधियों पर दर्द होने के बारे में शिकायत की। जो शायद सभी क्षेत्रों की समस्या है। 77.5% महिलाओं केलिए *अपर्याप्त आय* की समस्या थी।

मछली बेचनवाली महिलाएं

मात्स्यिकी पोताश्रय से मछली खरीदकर महिलाएं बांस की टोकरियों में घर घर घूमके बिकती है। इनमें अधिकांश (37%) मध्य - आयु की हैं। उनको मिलने वाली 10-15 कि ग्रा की मछली प्रायः कम मूल्य की होती है। प्रतिदिन उनका आय 100 से 250/ रु तक आता है। उनका कार्यसमय सबेरे 8 बजे से अपराह्न 1 बजे तक है। उनके द्वारा बतायी गयी मुख्य कठिनाईयाँ शारिरिक थे जैसे सिर दर्द, पीट दर्द और परिवहन की असुविधा भी उनके किलए एक समस्या थी.

नीलाम में लगी महिलाएं

विपणन कार्य में नीलाम का महत्वपूर्ण स्थान है। विशाखपट्टणम क्षेत्र में अधकितर महिलाएं नीलाम में लगी हुई है। उनके सामाजिक प्राफाइल देखने पर 53% इस काम में निरक्षर और 57% 11-15 वर्षों की अनुभवी थी। इनका कार्य समय दो सत्रों में बांटा हुआ था। प्रात: 7.00 से 11.00 घंटे और अपराह्न 15.00 से 19.00 घंटे। मत्स्यन रोध के दौरान यंत्रीकृत नावों के प्रचालन नहीं होने के कारण इनका कार्य 4-5 घंटों में कम हो जाता है। साधारण अवस्था में 500 से 700 कि ग्रा मछलियों का नीलाम हो जाता है जो रोध के समय 50 से 100 कि ग्रा तक कम हो जाता है। इसके अनुसार नीलाम कर्ता का प्रति दिन आय जो बिन रोध की अवधि में 500 से 800/- रु तक आता है। रोध के समय ये लोग परंपरागत नावों की पकड खरीदती है। नीलाम करने केलिए मछली लेते समय नाव मालिकों को 10,000/ से 50,000/ रु तक निक्षेप के रूप में देना पडता है और इसके अतिरिक्त अपनी हिस्सा के रूप में ये नीलाम के पहले और नीलाम होने के बाद थोडी मात्रा में मछली लेती है। एक नीलामकर्ता एक से अधिक नाव मालिकों के साथ नीलाम किया जा सकता है लेकिन नाव मालिक को एक नीलाम कर्ता ही अनुमेय है। 67% महिलाओं ने रिपोर्ट की कि नीलाम से प्राप्त रुपए अपने पतियों को देती है। नीलाम का कार्य बहुत ही थकाउ काम है और नाव मालिक यदि नाव बेच देता है तो ये दुविधा पड जाती है।

बर्फ बेचने वाली महिलाएं

मात्स्यिकी पोताश्रय के गौण कार्यकलापों में एक है बर्फ बेचने का काम। इस काम में लगे 10 महिलाओं से आँकडे का संग्रहण किया गया। इनमें अधिकतर (47%) महिलाएं निरक्षर थीं। बहु दिवसीय मत्स्यन में लगे बडे यान अपनी पकड को परिरक्षित करने केलिए कंपनियों से बर्फ खरीदते है। ताजी मछली के विपणप करनेवालों को प्रति दिन 2 से 10 क्रि ग्रा तक के बर्फ की आवश्यकता पडती है। बर्फ बेचने वाली महिलाएं बर्फ फाक्टरी से 100 कि ग्रा तक बर्फ खरीदती है। इसका मूल्य लगभग 150/- रु. तक आता है उनको उधार में बर्फ नहीं देता है। श्रृंगकाल में पोताश्रय से 20 कि मी दूर स्थित गजुवाका क्षेत्र से ये बर्फ लाती है। व्यक्तिश: 3 से 5 डिब्बे बर्फ की बिक्री हो जाती है। माँग अधिक होते समय दस - बीस रुपए देकर लडकों को भी इस काम में लगा देता है। बर्फ की बिक्री में लगी महिलाओं को प्रतिदिन 100 से 350/- तक का आय प्राप्त होता है। पोताश्रय में ही नियमित खरीदर होने के कारण पोताश्रय में ही बैठकर बिक्री किया जा सकता है। रोध की अवधि में इनका आय कम हो जाता है।

टोकरियों के निर्माण में महिलाएं

इस काम में लगी महिलाएं बहुत कम है, इसलीए 10 महिलाओं से ही आंकडा प्राप्त किया जा सका। उनका प्रति दिन आय 100 -150/- रु है। मत्स्यन रोध के समय भी ये काम करते है लेकिन इस दौरान आय 60 - 80/- रु. में कम हो जाती है। 120-150 दिन ये लोग काम करती है। टोकरियों के निर्माण से बढकर ठीक करने का काम अधिक चलता है। प्रात: 8.00 घंटे से 17.00 घंटे तक ये काम करते है। प्लास्टिक टोकरियों के आगमन का कुछ हद तक प्रभाव होने पर भी अधिकतम मछुआरिन बांस की टोकरियों का ही उपयोग करती है।

संसाधन में महिलाएं

विशाखपट्टणम के मछली और झींगा संसाधन सेक्टर में भी महिलाएं काम करती है। विश्लेषण से यह देखा गया कि झींगा संसाधन में लगी 41% जवान लड़कियाँ और 7% मध्य वयस्क महिलाएं थीं। इन में 18% निरक्षर और 22% मध्य स्तर की शिक्षा प्राप्त थी। 1% इन्टर पास थी। प्रति महीने उनको 1700 से 4,500/- रु. की मंजूरी मिलती है। 80% महिलाएं संसाधन स्थान से 7 कि मी दूर स्थित भीम्लीपट्टिणम से थीं। उनको कंपनी में झींगा आने के अनुसार 9.00 से 21 घंटों बीच काम करना पडता है। हफ्ते में 6 दिन कार्य दिवस है। यात्रा और चिकित्सा सुविधाएं कंपनी द्वारा दीज ाती है। लगभग 6% कंपनी द्वारा दिए गए आवासों में रहती है उनको एक महीने का वेतन बोनस के रूप में दिया जाता है। 2000/- रु. तक की उत्सव भत्ता भी दी जाती है। आय कमाने केलिए किसी और 83% ने रिपोर्ट की कि उनको यह काम पसंद है क्यों कि आय कमाने केलिए उनको कोई अन्य विकल्प नहीं हैं संसाधन के समय ये ग्लाउस का उपयोग करती हैं। मज़दूरी में विवेचन, पीट और संधियों में दर्द, थकावट, त्वचा की समस्याएं आदि शारिरिक कठिनाइयों पर उन्होंने रिपोर्ट की।

निष्कर्ष : भारत की आर्थिकी में इन महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण है। उनकी कठिनाइयों / समस्याओं को हल करके समाज में मान्यता दिलाना हमारा कर्तव्य है। देश की आर्थिकी में संग्रहणोत्तर प्रक्रियायें मुख्य भूमिका निभाती है और एक हद तक यह क्षेत्र महिलाओं के हाथ में है। मात्स्यिकी क्रियाकलापों में शामिल होकर वित्तीय और शारीरिक एवं मानसिक शाक्तीकरण उनको प्राप्त कराना अनिवार्य है ताकि देश भी उनसे लाभान्वित हो जाएं।